[2019] 8 एस. सी. आर 927

वासवी इंजीनियरिंग कॉलेज माता-पिता का संगठन

वी.

तेलंगाना राज्य और अन्य

(2019 की सिविल अपील संख्या 5133)

1 जुलाई, 2019

[अरुण मिश्रा और नवीन सिन्हा, जे. जे.]

तेलंगाना शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश विनियमन और कैपिटेशन शुल्क निषेध) अधिनियम, 1983 - एस. 15 आर/डब्ल्यू। एसएस। 3 और 7

तेलंगाना प्रवेश और शुल्क नियामक समिति

निजी गैर-सहायता प्राप्त पेशेवर में पेश किए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम संस्थान) नियम, 2006-rr. 3 और 4 (v)-तेलंगाना प्रवेश और शुल्क नियामक समिति (टी. ए. एफ. आर. सी.) यू/आर. 4 (v) इसके द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना के बारे में राज्य सरकार को सूचित किया।

अधिसूचना बी. ई. और बी. टेक पाठ्यक्रमों के लिए ब्लॉक अवधि 2016-17 से 2018-19 के लिए शुल्क संरचना को अधिसूचित किया गया था-उक्त शुल्क संरचना को प्रतिवादी संस्थानों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने मामले को पुनर्विचार के लिए टी. ए. एफ. आर. सी. को भेज दिया-इसके अनुसार, समिति ने कुछ वृद्धि दी, हालांकि, इसे फिर से चुनौती दी गई, इसके बाद उच्च न्यायालय ने -

खंड अवधि के लिए ही शुल्क संरचना-पीड़ित, राज्य और शुल्क नियामक समिति ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष उस पर असफल हमला किया-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाः न्यायिक समीक्षा निर्णय लेने की प्रक्रिया के खिलाफ है न कि निर्णय के गुण-दोष के खिलाफ-यदि निर्णय लेने की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है,

अन्य बातों के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करना, निर्णय लेने वाले की शक्तियों से परे है, अप्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखता है या प्रासंगिक सामग्री को बाहर करता है, व्यक्ति के पीछे की सामग्री को प्रभावित होने के लिए स्वीकार करता है या ऐसा है कि किसी भी उचित व्यक्ति ने इस मामले में ऐसा निर्णय नहीं लिया होगा।

परिस्थितियों में, न्यायालय इस तरह के निर्णय को दरकिनार करके त्रुटि को सुधारने के लिए कदम उठा सकता है और निर्णय निर्माता को कानून के अनुसार एक नया निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है-हालाँकि, न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की आड़ में, निर्णय निर्माता के अधिकार क्षेत्र को हड़प नहीं सकता है और स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है-यह एक नए निर्णय के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

टी. ए. एफ. आर. सी. का अपीलीय प्राधिकरण-इसके अलावा, टी. ए. एफ. आर. सी. एक वैधानिक प्राधिकरण है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले निकाय में वित्त क्षेत्र के दो सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिनमें से एक सरकार से होता है-न्यायालय को एक विशेषज्ञ निकाय की सिफारिशों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, जिसे सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है, जब तक कि यह मनमानेपन, तर्कहीनता, विकृति के दुष्प्रभाव से ग्रस्त न हो या उस कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन न करे जिसके तहत इसका गठन किया गया था-तत्काल मामले में, जैसे -

उपलब्ध अभिलेखों से प्रदर्शित किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी भी आधार को उच्च न्यायालय द्वारा टी. ए. एफ. आर. सी. के निर्णय लेने के अधिकार क्षेत्र को हड़पने के लिए एक असाधारण मामला बनाने के रूप में नहीं माना जा सकता है-इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने टी. ए. एफ. आर. सी. की सिफारिशों में हस्तक्षेप करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया-उच्च न्यायालय के आदेशों को दरकिनार कर दिया गया-न्यायिक समीक्षा।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. विवाद का सार क्षेत्राधिकार और उस हद तक है जिस तक अदालत तेलंगाना प्रवेश और शुल्क द्वारा शुल्क संरचना के निर्धारण की जांच कर सकती है।

विनियामक समिति (टी. ए. एफ. आर. सी.) और न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित। टी. ए. एफ. आर. सी., उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक वैधानिक निकाय है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनमें से दो वित्त क्षेत्र से हैं, जिनमें से एक सरकार से है। तेलंगाना प्रवेश और शुल्क नियामक समिति (निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों में पेश किए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए) नियम, 2006 के नियम 3 (vii) में टी. ए. एफ. आर. सी. को उस संबंध में सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार अपनी प्रक्रिया तैयार करने की शक्ति प्रदान की गई है और जिसके अनुसार उसके द्वारा शुल्क निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। द. टी. ए. एफ. आर. सी. की सिफारिशें एक अर्ध न्यायिक निर्णय लेने की प्रक्रिया का परिणाम होने के कारण, यह निस्संदेह न्यायिक समीक्षा द्वारा जांच के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होगी, ताकि संविधान के संवैधानिक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून की तर्कसंगतता, निष्पक्षता और पालन। [पैरा 16] [947-बी-डी]

2. न्यायिक समीक्षा, जैसा कि सर्वविदित है, निर्णय लेने की प्रक्रिया के खिलाफ है न कि निर्णय के गुण-दोष के खिलाफ। यदि निर्णय लेने की प्रक्रिया अन्य बातों के साथ-साथ वसावी इंजीनियरिंग कॉलेज पैरेंट्स एसोसिएशन v के उल्लंघन से त्रुटिपूर्ण है।

तेलंगाना राज्य और अन्य प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत, निर्णय निर्माता की शक्तियों से परे हैं, अप्रासंगिक सामग्रियों को ध्यान में रखते हैं या प्रासंगिक सामग्रियों को बाहर करते हैं, व्यक्ति के पीछे की सामग्री को प्रभावित होने के लिए स्वीकार करते हैं या ऐसा है कि किसी भी उचित व्यक्ति ने परिस्थितियों में ऐसा निर्णय नहीं लिया होगा, अदालत ऐसे निर्णय को दरकिनार करके त्रुटि को सुधारने के लिए कदम उठा सकती है और निर्णय निर्माता से कानून के अनुसार एक नया निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है। न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की आड़ में, निर्णय निर्माता के अधिकार क्षेत्र को हड़प नहीं सकता है और

निर्णय स्वयं। न ही यह टी. ए. एफ. आर. सी. के अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य कर सकता है। [पैरा 17] [947-ई-जी] 3. इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि आर्थिक मामलों में जटिल कार्यकारी निर्णय अनिवार्य रूप से अनुभवजन्य और इन पर आधारित हों -

प्रयोग। इसकी वैधता का परीक्षण किसी भी कठोरता पर नहीं किया जा सकता है।

सिद्धांत या किसी भी स्ट्रेटजैकेट सूत्र का अनुप्रयोग। आर्थिक मामलों में एक कार्यकारी निर्णय की वैधता का निर्णय करते समय न्यायालय को कार्यपालिका को कुछ हद तक स्वतंत्रता या जोड़ों में खेलने की अनुमति देनी चाहिए। न केवल त्रुटियाँ, बल्कि केवल स्पष्ट रूप से मनमाने निर्णयों को ही न्यायिक समीक्षा में हस्तक्षेप किया जा सकता है। क्षेत्र विशेषज्ञों से युक्त एक सांविधिक निकाय द्वारा की गई सिफारिश राज्य के लिए संतोषजनक नहीं है

सरकार एक पूरी तरह से अलग मामला है जिससे यह न्यायालय वर्तमान चर्चा में संबंधित नहीं है। इसलिए न्यायालय को किसी विशेषज्ञ निकाय की ऐसी सिफारिश में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होना चाहिए, और सरकार द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए, जब तक कि वह मनमानेपन, तर्कहीनता, विकृति से ग्रस्त न हो या उस कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन न करे जिसके तहत उसका गठन किया गया है। द.

अदालत एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में नहीं बैठ सकती है, विवादित तथ्यों और आंकड़ों के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए उस तरीके के संबंध में राय दे सकती है जिसमें टी. ए. एफ. आर. सी. को किसी भी निष्कर्ष के बिना आगे बढ़ना चाहिए था। नियमों या प्रक्रिया का उल्लंघन। यदि किसी सांविधिक निकाय ने अधिकारिता का उचित प्रयोग नहीं किया है, तो एकमात्र विकल्प यह है कि मामले को नए सिरे से विचार के लिए रिमांड पर लिया जाए, न कि आयोग की शक्तियों को हड़पना।

प्राधिकरण। [पैरा 19] [948-ई-एच; 949-ए-बी]

4. भारतीय न्यायशास्त्र के संदर्भ में, संविधान सर्वोच्च कानून है। सभी कार्यकारी या विधायी कार्यों को करना होगा

उसी के गुंबद पर परीक्षण किया जाए। इस तरह की कार्रवाइयों के लिए [2019] 8 एस. सी. आर. निकालना होगा।

उनके निर्वाह के साथ-साथ उसी के तहत उनकी सीमाएँ भी। संवैधानिक गारंटी की अवहेलना करने वाली किसी भी कार्रवाई के लिए संवैधानिक नैतिकता का पालन सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक समीक्षा में सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता होगी। लेकिन जब तक संवैधानिक लोकाचार के ताने-बाने को अलग नहीं किया जाता है, तब तक अदालत को संयम बरतना होगा, विशेष रूप से क्षेत्र के विशेषज्ञों से संबंधित मामलों में, अन्यथा न्याय का जोखिम व्यक्तिगत धारणाओं पर आधारित होगा जो मिथकों को संवैधानिक लोकाचार के साथ असंगत वास्तविकताओं के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। अदालतें अक्सर उन विवादों पर निर्णय देती हैं जो इस सवाल को उठाती हैं कि उन्हें कार्यकारी या विधायी कार्रवाई की कितनी सख्ती से जांच करनी चाहिए। इसलिए, अदालतों ने कुछ प्रश्नों की पहचान न्यायिक समाधान के लिए अनुचित होने के रूप में की है या किसी विशेष मामले पर किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपने फैसले को प्रतिस्थापित करने के लिए योग्यता के आधार पर इनकार कर दिया है। न्यायिक व्यवस्था की आवश्यकता

विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के संबंध में प्रतिबंध, विशेष रूप से वित्त और अर्थशास्त्र से संबंधित मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में विचार किया गया था। [पैरा 20]

[949 - ई-जी]

5. इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों में मानी गई राय के बारे में, जैसा कि उपलब्ध अभिलेखों से प्रदर्शित होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित चार आधारों में से किसी को भी उच्च न्यायालय द्वारा टी. ए. एफ. आर. सी. के निर्णय लेने के अधिकार क्षेत्र को हड़पने के लिए एक असाधारण मामला बनाने के रूप में नहीं माना जा सकता है। [पैरा 25] [953-ए-बी]

उर्वरक निगम कामगर यूनियन (विनियमित), सिंदरी बनाम। भारत संघ, (1981) 1 एस. सी. सी. 568 [1981] 2 एस. सी. आर. 52; दिल्ली राज्य (एन. सी. टी.) बनाम। संजीव, (2005) 5 एस. सी. सी. 181 [2005] 3 एस. सी. आर. 151; पीयरलेस जनरल फाइनेंस

और निवेश कंपनी लिमिटेड बनाम। भारतीय रिजर्व बैंक, (1992) 2 एससीसी 343 [1992] 1 एससीआर 406; बाल्को कर्मचारी संघ (विनियमित) v. भारत संघ (2002) 2 एससीसी 333: [2001] 5 पूरक। एस. सी. आर. 511; आंध्र प्रदेश सरकार बनाम पी. लक्ष्मी देवी, (2008) 4 एससीसी 720: [2008] 3 एस. सी. आर. 330; तमिलनाडु उत्पादन और वितरण

निगम लिमिटेड बनाम। सी. एस. ई. पी. डी. आई.-ट्रिश कंसोर्टियम, (2017)

4 एस. सी. सी. 318 [2016] 7 एस. सी. आर. 495 पर निर्भर था।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ज्ञान

प्रकाश, नई दिल्ली और एक अन्य वी।

के. एस. जगन्नाथन वासावी इंजीनियरिंग कॉलेज पैरेंट्स एसोसिएशन स्टेट ऑफ तेलंगाना और अन्य

और दूसरा (1986) 2 एस. सी. सी. 679: [1986] 2 एससीआर 17;

बद्रीनाथ वी. तमिलनाडु सरकार और ओआरएस। (2000)

8 एस. सी. सी. 395 विशिष्ट।

इस्लामी शिक्षा अकादमी और एक अन्य वी। की स्थिति कर्नाटक और ओआरएस। , (2003) 6 एससीसी 697: [2003] 2

पूरक। एससीआर 474; टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य। वी. राज्य

3 पूरक। एससीआर 587; मॉडर्न स्कूल बनाम। भारत संघ, (2004) 5 एस. सी. सी. 583 [2004] 1 पूरक। एससीआर 668; डी. एन.

जीवराज बनाम. मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार,

(2016) 2 एस. सी. सी. 653 [2015] 12 एस. सी. आर. 115-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2003] 2 पूरक। एससीआर 474

पै

रा 2

संदर्भित किया गया है

[1981] 2 एससीआर 52

उस पर भरोसा करें

पै

रा 17

[2005] 3 एससीआर 151

उस पर भरोसा करें

पै

रा 18

[1992] 1 एससीआर 406

उस पर भरोसा करें

पै

रा 19

[2001] 5 पूरक। एससीआर 511

उस पर भरोसा करें

पै

रा 20

[2008] 3 एससीआर 330

उस पर भरोसा करें

पै

रा 21

[2016] 7 एससीआर 495

उस पर भरोसा करें

पै

रा 22

[2002] 3 पूरक। एससीआर 587

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

[2004] 1 पूरक। एससीआर 668

पै

रा 23

संदर्भित किया गया है

[2015] 12 एससीआर 115

पै

रा 24

संदर्भित किया गया है

[1986] 2 एससीआर 17

पै

रा 25

प्रतिष्ठित

(2000) 8 एस. सी. सी. 395

पै

रा 25

प्रतिष्ठित

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5

2019 से।

उच्च न्यायालय के 24.08.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 की रिट अपील संख्या 798 में तेलंगाना राज्य के लिए हैदराबाद में न्यायपालिका और स्टेट आंध्र प्रदेश।

के साथ सी. ए.

सं. 5135/2019 और सी. ए. सं. 5134/2019 [2019] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के. राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , डी. महेश बाबू, शिशिर पिनाकी, सुश्री सुचित्रा हरंगखॉल, श्रवण कुमार, आदित्य कुमार, विजेंद्र

मेसर्स के लिए मिश्रा, सिद्धार्थ अय्यर, पी. वेंकट रेड्डी, अभिषेक रेड्डी, प्रशांत त्यागी। वेंकट पलवई लॉ एसोसिएट्स, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

फली एस. नरीमन, पराग पी. त्रिपाठी, केवी विश्वनाथन,

के. राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , ए. वी. रंगम, बडी ए. रंगानाधन, एम. रवींद्रनाथ रेड्डी, श्रीमती स्तुति कृष्ण, सुहास रेड्डी, ए. मुकुंद, एल. जोशी, सिद्धार्थ अय्यर, पी. वेंकट रेड्डी, अभिषेक रेड्डी, प्रशांत त्यागी। वेंकट पलवई लॉ एसोसिएट्स, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

नवीन सिन्हा, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

तेलंगाना प्रवेश और शुल्क नियामक समिति (निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों में पेश किए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए) नियम, 2006 (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित) को तेलंगाना शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और कैपिटेशन शुल्क का निषेध) अधिनियम, 1983 की धारा 3 और 7 के साथ धारा 15 के तहत तैयार किया गया था। (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित)। नियम 4 (v) के तहत समिति को अपने द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना के बारे में सूचित करना आवश्यक है।

अधिसूचना के लिए राज्य सरकार। बी. ई. और B.Tech पाठ्यक्रमों के लिए इस प्रकार अधिसूचित शुल्क संरचना, खंड अवधि 2016-17 से 2018-19 के लिए, प्रतिवादी संस्थानों द्वारा की गई चुनौती पर विद्वान एकल न्यायाधीश की मंजूरी को पूरा नहीं करती थी। मामला समिति के पास भेज दिया गया। एक पुनर्विचार पर, समिति ने कुछ वृद्धि की अनुमति दी, जिसे फिर से चुनौती दी गई। यह मत व्यक्त करते हुए कि निर्धारण उचित नहीं था, विद्वान एकल न्यायाधीश ने शुल्क संरचना को निर्धारित करने के लिए आगे बढ़े

उसकी संतुष्टि। पीड़ित, तेलंगाना राज्य और शुल्क नियामक समिति ने डिवीजन बेंच के समक्ष इस पर असफल हमला किया। माता-पिता के संघ ने भी ऐसा करने की अनुमति दिए जाने के बाद सीधे इस न्यायालय के समक्ष विवादित आदेशों पर हमला किया है। इस प्रकार, अपीलें।

वासवी इंजीनियरिंग कॉलेज माता-पिता संघ v. तेलंगाना राज्य और अन्य [नवीन सिन्हा, जे.]

या कैपिटेशन शुल्क। इस समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं और इसमें आवश्यक विशेषज्ञता के साथ विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इस संबंध में टी. ए. एफ. आर. सी. की सिफारिशें इसलिए शुल्क संरचना में उच्च न्यायालय द्वारा उचित शुल्क संरचना का पुनर्निर्धारण करने के लिए टी. ए. एफ. आर. सी. पर अपने स्वयं के विचार को प्रतिस्थापित करके न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था। तीन साल की ब्लॉक अवधि के लिए शुल्क संरचना जी. ओ. एम. No.21 दिनांक 04.07.2016 के माध्यम से शुरू में टी. ए. एफ. आर. सी. द्वारा रु. 86,000 / - और रु. 91,000 / - प्रत्यर्थी संस्थानों के लिए, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा रिमांड के बाद समान रूप से Rs.97,000/प्रति छात्र 04.02.2017 पर पुनर्निर्धारित किया गया था। टी. ए. एफ. आर. सी. ने प्रासंगिक सामग्रियों को ध्यान में रखने से इनकार करके मनमाने ढंग से कार्य नहीं किया, या बाहरी पर भरोसा नहीं किया।

प्रत्यर्थी संस्थानों के पीछे एकत्र की गई सामग्री। टी. ए. एफ. आर. सी. ने प्रतिवादी संस्थानों के परामर्श से कार्य किया, जिनमें शामिल हैं -

उनसे स्पष्टीकरण मांगें। उच्च न्यायालय ने यह नहीं पाया कि टी. ए. एफ. आर. सी. ने अधिनियम, नियमों, दिशानिर्देशों के प्रावधानों के विपरीत या लेखांकन और प्रक्रियाओं के किसी भी बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन किया था। यह तथ्य कि रिमांड के बाद टी. ए. एफ. आर. सी. ने 10 प्रतिशत मुद्रास्फीति निर्धारित करने के लिए एक अलग पद्धति अपनाई होगी और पूरे ब्लॉक अवधि के लिए 15 प्रतिशत आगे बढ़ाने को मनमाना नहीं माना जा सकता है। केवल इसलिए कि उच्च न्यायालय की राय में एक और दृष्टिकोण भी लिया जा सकता था, उच्च न्यायालय द्वारा टी. ए. एफ. आर. सी. के अधिकार क्षेत्र को हड़पने को उचित नहीं ठहरा सकता है। 4. केवल यह तथ्य कि टी. ए. एफ. आर. सी. द्वारा शुल्क संरचना का निर्धारण अर्ध-न्यायिक प्रकृति का माना गया है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है, इसमें [2019] 8 एस. सी. आर. निहित नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

टी. ए. एफ. आर. सी. और प्रत्यर्थी संस्थानों के बीच प्रतिकूल विवाद की प्रकृति। कुछ दावों की अस्वीकृति, जिनकी वास्तविकता,

विशेषज्ञ समिति के अनुमोदन को पूरा नहीं किया, शुल्क निर्धारण को मनमाना नहीं बनाता है।

5. प्रत्यर्थी संस्थानों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री एफ. एस. नरीमन ने कहा कि तीन साल की ब्लॉक अवधि अब समाप्त हो गई है और वास्तविक खर्च उपलब्ध हैं। टी. ए. एफ. आर. सी. द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना पर प्रत्यर्थी संस्थानों को भारी वित्तीय घाटा होगा। उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित रु. 1,60,000/- और रु. 1,37,000/- की शुल्क संरचना प्रतिवादी संस्थानों के लिए भी लगभग एक विराम की अनुमति देगी। टी. ए. एफ. आर. सी. ने पिछले ब्लॉक अवधि में आधार वर्ष के स्वीकृत व्यय के लिए रु. 1,15,400/- की शुल्क संरचना की सिफारिश की। विडंबना यह है कि स्वीकार करने के बावजूद

रुपये के लेखा परीक्षित व्यय में वृद्धि। 29.26 करोड़, आश्चर्यजनक रूप से केवल Rs.97,000/- की शुल्क संरचना की सिफारिश की गई है। 10 % ब्लॉक अवधि के लिए टी. ए. एफ. आर. सी. की कार्यप्रणाली के अनुसार मुद्रास्फीति और 15 प्रतिशत वृद्धि प्रति छात्र रु. 1,58,675/- के शुल्क को उचित ठहराती है। खर्चों को ध्यान में रखते हुए संस्थानों का दावा उचित था

राज्य में समकक्ष सरकारी कॉलेज और राज्य से उन्हें मिलने वाली सब्सिडी, जिसके विपरीत प्रतिवादी संस्थानों के पास अपने खर्चों को पूरा करने के लिए केवल शुल्क होता है। राज्य उन छात्रों के संबंध में आवश्यक शुल्क की प्रतिपूर्ति भी नहीं कर रहा था, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2 लाख रुपये प्रति वर्ष नहीं थी।

6. माता-पिता संघ की ओर से प्रस्तुत किया गया था कि अंतिम निर्णय का पालन करने के लिए केवल एक वचन देना शुल्क संरचना को चुनौती देने से रोकने के रूप में काम नहीं कर सकता है।

उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित।

8. नियम 3 (i) टी. ए. एफ. आर. सी. के गठन के लिए प्रावधान करता है जिसका कार्यकाल नियम 3 (iii) के तहत संविधान की तारीख से तीन साल का होगा। नियम 3 (ii) के तहत निर्धारित टी. ए. एफ. आर. सी. का नेतृत्व उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और अन्य सदस्य करते हैं जैसा कि उसमें प्रावधान किया गया है। वर्ष 2006 जीओएम द्वारा 22.07.2015 पर नियमों को संशोधित किया गया था। No.26। समिति का वर्तमान गठन इस प्रकार हैः

प्रवेश और शुल्क नियामक समिति (एएफआरसी)

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: -

उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश

((i)

सभापति

तकनीकी सदस्य पर एक अकादमिक विशेषज्ञ

((ख)

शिक्षा

(iii)

चिकित्सा सदस्य पर एक अकादमिक विशेषज्ञ शिक्षा

एक वित्त विशेषज्ञ

((iv)

सदस्य

एक कानूनी विशेषज्ञ

सदस्य

(v)

(vi)

एक कुलपति

सदस्य

सरकार का एक प्रतिनिधि। वित्त सदस्य

(vii)

विभाग

(viii)

द.

अध्यक्ष, तेलंगाना राज्य सदस्य

उच्च शिक्षा परिषद

अखिल भारतीय परिषद सदस्य का एक प्रतिनिधि

(ix)

तकनीकी शिक्षा/चिकित्सा

भारतीय परिषद/बार काउंसिल

भारत/राष्ट्रीय शिक्षक परिषद

शिक्षा (जैसा भी मामला हो)

(x)

द्वारा निर्धारित कोई भी विशेष आमंत्रित व्यक्ति

सदस्य

सभापति

सदस्य

(xi)

प्रधान सचिव/सचिव

द.

शिक्षा/स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करते हुए,

सचिव

चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग

9. नियम 4 शुल्क निर्धारण से संबंधित है और इसके द्वारा परीक्षा का प्रावधान है

एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित शुल्क संरचना का ए. एफ. आर. सी.ट्यूशन। नियम 4 (ii) टी. ए. एफ. आर. सी. को यह तय करने की शक्ति प्रदान करता है कि क्या

जमा की गई सेड शुल्क संरचना उचित थी या नहीं और इसकी राशि थी

ईरिंग या कैपिटेशन शुल्क। नियम 4 (ii) और 4 (iv) के अनुसार टी. ए. एफ. आर. सी.

शुल्क निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित कारकों पर विचार करना।

" 4 ((ii) ए. एफ. आर. सी. यह तय करेगा कि उसके द्वारा प्रस्तावित शुल्क क्या है।

संस्थान उचित है और यह मुनाफाखोरी या शुल्क लेने के बराबर नहीं है

क) व्यावसायिक संस्थान का स्थान; ख) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृति;

(ग) उपलब्ध आधारभूत संरचना की लागत;

घ) प्रशासन और रखरखाव पर व्यय; [2019] 8 एस. सी. आर.

ङ) व्यावसायिक संस्थान के विकास और विकास के लिए आवश्यक उचित अधिशेष;

समय। छ) कोई अन्य प्रासंगिक कारक।

10. एक संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क संरचना के मिशन के लिए नियम 3 (vii) के तहत टी. ए. एफ. आर. सी. द्वारा बनाए गए दिशानिर्देश विस्तृत हैं। इसलिए इसे पुनः उत्पन्न करना आवश्यक माना जाता है

ई के कामकाज की बेहतर समझ और सराहना के लिए

एफआरसी।

" तेलंगाना प्रशासन और शुल्क विनियमन

समिति (टीएएफआरसी) दिशानिर्देश

निजी गैर-सहायता प्राप्त पेशेवरों द्वारा शुल्क प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ब्लॉक अवधि 2016 के लिए तेलंगाना राज्य में संस्थान

2017 2018-2019 तक।

● कैपिटेशन शुल्क निषेध अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, निजी गैर-सहायता प्राप्त पेशेवरों द्वारा कैपिटेशन शुल्क का संग्रह

संस्थान चाहे किसी भी नाम से हों, अवैध हैं।

● संस्थान आय और व्यय के लेखा परीक्षित विवरण, लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष 2014-15 के लिए विकासात्मक आवश्यकताओं और वेतन और व्यय पर किए गए व्यय के विवरण भी प्रस्तुत करेंगे।

2015-16 के लिए अनुमानित आंकड़ों के साथ बुनियादी ढांचा और अन्य विवरण (सहायक बिल, वाउचर या रसीद आदि के साथ)।

निजी गैर-सहायता प्राप्त पेशेवरों के संबंध में कोई भी शुल्क प्रस्ताव संस्थानों का मूल्यांकन उपरोक्त प्रमुख सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

● इसलिए यह आवश्यक है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों द्वारा प्रस्तुत शुल्क प्रस्तावों का मूल्यांकन संस्थानों के साथ-साथ उन समितियों/न्यासों की आय और व्यय के आधार पर किया जाए जिनके अंतर्गत उक्त संस्थान हैं।

स्थापित किया गया।

सावी इंजीनियरिंग कॉलेज माता-पिता संघ v. तेलंगाना राज्य और अन्य [नवीन सिन्हा, जे.]

शुल्क प्रस्तावों में संस्थानों के साथ-साथ छात्र समुदाय दोनों के हित को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाने पर विचार किया जाएगा।

ए। सभी आवश्यक वित्तीय जानकारी लेखांकन की व्यापारिक (संचय) प्रणाली के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए। लेखांकन की किसी अन्य प्रणाली में प्रस्तुत वित्तीय जानकारी

संस्थान द्वारा प्रदान की गई जानकारी के रूप में नहीं माना जाएगा और उसी के उद्देश्य के लिए विचार नहीं किया जाएगा मूल्यांकन।

बी। यदि कोई संस्थान पहले किसी अन्य प्रणाली का पालन करता था

लेखांकन और शुल्क निर्धारण के उद्देश्य से लेखांकन की व्यापारिक (संचय) प्रणाली में स्थानांतरित हो गया है, तेलंगाना प्रवेश और शुल्क नियामक समिति को प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय विवरण/जानकारी तैयार करते समय केवल वित्तीय वर्षों 2014-15 और 2015-16 (अनुमानित) से संबंधित सभी खर्चों को ध्यान में रखा जाएगा।

(टीएएफआरसी)।

सी। शुल्क संस्था की परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास सहित राजस्व व्यय के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

ब्लॉक अवधि 2016-17 से 2018-19 के लिए शुल्क संरचना तय करने के लिए निम्नलिखित अनुसूचियों को ध्यान में रखा जाएगा।

अनुसूची में प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण

संदर्भ

सभी कार्यक्रमों के लिए शुल्क संग्रह का विवरण

अनुसूची-1

वित्तीय वर्ष के लिए संस्थान 2014-2015 &

2015-16 .

संस्थान का आय और व्यय विवरण

अनुसूची-2

वित्तीय वर्ष 2014-2015 और 2015-16।

अनुसूची-3

वित्तीय वर्षों के लिए सोसायटी का आय और व्यय विवरण 2014-2015 और 2015-16।

अनुसूची-4

संस्थान द्वारा भुगतान किए गए योग्य शिक्षण कर्मचारियों के वेतन और बकाया (पूर्ण कर्मचारी विवरण सहित)
अन्य शिक्षण कर्मचारियों का वेतन और बकाया

अनुसूची-5

संस्थान (पूर्ण कर्मचारी विवरण सहित)

अनुसूची-6 नियमित गैर-शिक्षण कर्मचारियों का वेतन और संस्थान द्वारा भुगतान किया गया बकाया (पूर्ण कर्मचारी सहित)

विवरण)

अनुसूची-7

अनुबंध गैर-शिक्षण कर्मचारियों का वेतन और संस्थान द्वारा भुगतान किया गया बकाया (पूर्ण कर्मचारी सहित)

विवरण)

अनुसूची-8

वित्तीय वर्ष 2014-2015 और 2015-16 के लिए संस्थान के प्रशासनिक और अन्य खर्चों का विवरण।

संस्थान की वित्तीय लागतों का विवरण

अनुसूची-9

वित्तीय वर्ष 2014-2015 और 2015-16। मूल्यह्रास के लिए स्थिर परिसंपत्तियों की अनुसूची

अनुसूची-10

द्वारा प्राप्त और उपयोग किए गए राजस्व अनुदान का विवरण

अनुसूची-11

वित्तीय वर्षों के लिए संस्थान 2014-2015 और 2015-16।

अनुसूची-12

एनआरआई के तहत एकत्र की गई राशि के उपयोग की स्थिति

कोटा

10 प्रतिशत उपयोग की स्थिति की अनुमति

अनुसूची-13

शिक्षा को बढ़ावा देना। संस्थान की सावधि जमाओं का विवरण।

अनुसूची-14

अनुसूची-15

संस्था द्वारा समितियों, बैंकों के वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋणों का विवरण।

अनुसूची-16

संस्थान द्वारा अन्य लोगों से प्राप्त ऋणों का विवरण (निजी ऋण)

संस्थान के कोष/पूंजी कोष का विवरण

अनुसूची-17

द्वारा प्राप्त और उपयोग किए गए पूंजी अनुदान का विवरण

अनुसूची-18

संस्था

अनुसूची-19

संस्थान के लिए तुलनपत्र

अनुसूची-समाज के लिए 20 तुलनपत्र

कानूनी व्यय

अनुसूची-21

अन्य जानकारी (छात्र परिणाम आदि)

अनुसूची-22

व्यय के संबंध में इसे व्यापक रूप से निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया हैः

(क) वेतन खर्चः

i) 2014-15 और 2015-16 के लिए शिक्षण संकाय पर वेतन व्यय,

ii) 2014-15 और 2015-16 के लिए शिक्षण संकाय का वेतन व्यय, जो योग्यता, आयु और निर्धारित शिक्षक छात्र अनुपात से परे कर्मचारियों आदि के संबंध में पूरी तरह से योग्य नहीं हैं। iii) 2014-15 और 2015 के लिए गैर-शिक्षण कर्मचारियों का वेतन व्यय

16 , जो नियमित पैमाने पर और निर्धारित शिक्षण और गैर-शिक्षण अनुपात के भीतर हैं, जिसमें सेवानिवृत्ति की आयु भी शामिल है।

iv) आई. डी. 1 और 2015-16 के लिए गैर-शिक्षण कर्मचारियों का वेतन व्यय, जो समेकित/अनुबंध पर वेतन पर हैं या सेवानिवृत्ति की आयु के बाद फिर से कार्यरत हैं और जो कर्मचारी इस अवधि से अधिक समय तक कार्यरत हैं।

निर्धारित शिक्षण और गैर-शिक्षण अनुपात।

v) शिक्षण संकाय के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होगी और 58 गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए वर्ष और अंतिम श्रेणी के सेवकों के लिए 60 वर्ष।

vi) पिछले वर्षों के वेतन के बकाया को सकल वेतन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और इसे अलग से दिखाया जाना चाहिए।

1) शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों पर खर्च पर विचार करने के लिए, ए. आई. सी. टी. ई./एन. सी. टी. ई. और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे संबंधित सक्षम अधिकारियों द्वारा कैडर की संख्या तय की जाती है।

भारत आदि को अपनाना होगा। जिन व्यक्तियों को इस शक्ति के ऊपर नियुक्त किया जाता है, उन्हें अन्य संबंधित पदों में दिखाया जाएगा।

प्रोफार्मा।

2) संकाय मानदंड संबंधित द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होंगे।

ए. आई. सी. टी. ई., एन. सी. टी. ई. आदि जैसे सक्षम प्राधिकारी।

3) यदि किसी भी कर्मचारी की सेवाओं का उपयोग एक से अधिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता है, तो ऐसे नाम केवल एक में दिखाए जाएंगे।

कार्यक्रम।

4) शिक्षण संकाय योग्य होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए गैर-योग्य शिक्षण संकाय की गणना/विचार नहीं किया जाएगा।

खर्चों का।

5) शिक्षण संकाय के लिए पैन संख्या अनिवार्य है। के संबंध में

गैर-शिक्षण और अन्य कर्मचारियों को भी पैन डेटा प्रस्तुत किया जाएगा, जहां मासिक वेतन/परिलब्धियां/मानदेय/पारिश्रमिक [2019] 8 एस. सी. आर.

Rs.25,000 या अधिक है। यदि उनका कोई पैन/गलत पैन डेटा नहीं दिया जाता है, तो उस हद तक खर्च को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

6) शिक्षण के लिए आधार कार्ड संख्या दोनों को इंगित करना होगा।

संकाय/गैर-शिक्षण संकाय।

7) चेक/बैंक के माध्यम से वेतन के भुगतान पर केवल शिक्षण संकाय के संबंध में व्यय उद्देश्य के लिए विचार किया जाएगा। नकद भुगतान उत्पादन के अधीन होगा

सबूत।

8) गैर-शिक्षण कर्मचारियों के मामले में, मासिक मानदेय/वेतन पारिश्रमिक, जो भी मामला हो, Rs.25,000/से अधिक है, चेक/बैंक के माध्यम से किया जाएगा। नकद भुगतान किया जाएगा

साक्ष्य के उत्पादन के अधीन।

9) 01/04/2015 से 30/11/2015 की अवधि के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और 01/12/2015 से 01/03/2016 की अवधि के लिए अनुमानित वित्तीय विवरण गणना का आधार होंगे।

संस्थान के लिए व्यय।

10) वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण व्यय की गणना के लिए आधार होंगे।

संस्थान।

11) वित्तीय वर्षों के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण 2014-15 और 2015-16 भी शुल्क प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे।

12) आय के साथ दाखिल आय विवरणी की स्वीकृति

आकलन वर्षों के लिए कर विभाग 2014-15 & 2015-16 फॉर्म-10बी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वित्तीय वर्षों 2013-14 और 2014-15 से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

शुल्क प्रस्ताव के साथ।

13) लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित जानकारी के साथ लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर, उसका नाम, आई. सी. ए. आई. सदस्यता संख्या होगीः -

(ii) लेखा परीक्षक की ई-मेल आईडी। iii) लेखा परीक्षक की प्रकोष्ठ संख्या।

यदि लेखा परीक्षक फर्म का भागीदार है तो निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण दिए जाएंगेः क) फर्म आई. सी. ए. आई. पंजीकरण संख्या

ख) फर्म का पैन नंबर।

ग) फर्म की ई-मेल आईडी। नोटः

(क) यदि उपरोक्त विवरण प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार नहीं किया जाएगा और शुल्क प्रस्ताव को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाएगा।

अस्वीकार कर दिया।

(ख) टी. ए. एफ. आर. सी. को लेखा परीक्षक की उपस्थिति का निर्देश देने या उससे पुष्टि लेने का अधिकार है और संबंधित लागत, यदि कोई हो, संबंधित संस्थान द्वारा वहन की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर लेखा परीक्षक की उपस्थिति सुनिश्चित करना संस्थान की जिम्मेदारी है।

यदि कोई संस्थान एक से अधिक कार्यक्रम चलाता है तो सभी व्यय को विभाजित किया जा सकता है और संबंधित अनुसूचियों में प्रतिबिंबित किया जा सकता है और विभाजित व्यय को चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। यदि स्पष्ट विभाजन नहीं दिया जाता है तो प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

पूरा विवरण ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा। हालांकि, संस्थान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भुगतान करके लेखा परीक्षक/सचिव/संवाददाता/निदेशक/प्राचार्य (जहां भी इसकी आवश्यकता हो) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अपलोड की गई जानकारी की एक हार्डकॉपी प्रदान करेगा।

प्रसंस्करण शुल्क।

ए/सी संख्या 62436164496, आई. एफ. एस. सी. कोड एस. बी. एच. वाई. 0020070, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, शांतिनगर शाखा, हैदराबाद वाली "तेलंगाना प्रवेश और शुल्क नियामक समिति (टी. ए. एफ. आर. सी.)" को श्रेय दिया जाएगा। यदि कोई सोसायटी/ट्रस्ट एक से अधिक संस्थान चलाता है, तो डेटा/जानकारी संस्थानवार प्रस्तुत की जाएगी।

ध्यान देंः उपरोक्त सभी अनुसूचियों का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है। कार्यक्रम संख्या को बदलकर। बेशक वर्षों के रूप में माना जाता है

फिट। उदाहरण के लिए, स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 4 वर्ष की अवधि (पार्श्व प्रवेश के लिए 3 वर्ष) और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों आदि के लिए 2 वर्ष।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ध्यान दें:

● कोई भी खर्च जो सीधे छात्र के खर्च से संबंधित नहीं है।

शिक्षा पर विचार नहीं किया जाएगा।

• में संस्थान के विज्ञापन जैसे अनुमानित व्यय

आगामी ब्लॉक अवधि के दौरान उपकरणों की खरीद, ब्लॉक अवधि के दौरान की जाने वाली नई भर्ती को शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए निर्धारित धन से पूरा किया जाएगा।

• वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 के बीच वृद्धि के प्रतिशत को वित्तीय वर्ष 2015-16 से संबंधित व्यय पर विचार करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि, 01/04/2015 से 30/11/2015 की अवधि के लिए लेखा परीक्षित आय और व्यय और 01/12/2015 की अवधि के लिए अनुमानित आय और व्यय

31/03/2016 को जमा करना होगा।

शिक्षण कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए अनुसूचियाँ शामिल की जाएंगी।

के लिए ((i) योग्यता वाले लोग।

((ii) जिनके पास योग्यता नहीं है।

● आंतरिक निधियों के संबंध में संस्थाओं को समितियों द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। ● जब कोई संस्थान एक से अधिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहा हो,

आय और व्यय विवरण और तुलनपत्र को विभाजित किया जाएगा और लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित द्विभाजित विवरण शुल्क प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो प्रस्तावों को संक्षेप में अस्वीकार कर दिया जाएगा।

• आय के अंतर्गत 24 क्यू और 26 क्यू प्रपत्रों में दाखिल वार्षिक टीडीएस विवरणी

प्रस्ताव के साथ कर अधिनियम भी प्रस्तुत किया जाएगा।

भवनों पर या तो किराया या मूल्यह्रास की अनुमति होगी। किराए के संबंध में संस्थान आर एंड बी विभाग के संबंधित कार्यकारी अभियंता से किराया निर्धारण प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा और पंजीकृत किराया समझौता भी प्रदान किया जाना चाहिए।

• कोई भी व्यय जिसके लिए संबंधित आय है,

यदि कोई संबंधित आय नहीं दिखाई गई है तो इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

इंजीनियरिंग कॉलेज पैरेंट्स एसोसिएशन v. तेलंगाना के ई और अन्य [नवीन सिन्हा, जे।]

सामान्य जानकारी में 2016-17 से 2018-19 की ई-ब्लॉक अवधि के लिए प्रस्तावित शुल्क (पाठ्यक्रम के अनुसार) से संबंधित कॉलम की सूची

ई. टी. अनिवार्य है।

प्रोफार्मा को भरने के लिए अपनाया जाने वाला नियमः

संबंधित संयोजकों द्वारा संस्थान को आवंटित कोड का उपयोग किया जाएगा, उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग के लिए ईएएमसीईटी कोड।

महाविद्यालय।

वित्तीय विवरण केवल रुपये में प्रस्तुत किए जाएंगे।

प्रस्तावित प्रति छात्र शुल्क कार्यक्रम-वार होना चाहिए और खंड अवधि 2016-2019 के लिए सामान्य सूचना पत्रक में दिखाया जाना चाहिए। वर्ष 2014-15 के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, 01/04/2015 से 30/11/2015 की अवधि के लिए, और 01/12/2015 से 31/03/2016 की अवधि के लिए अनुमानित आंकड़े भी सोसायटी/ट्रस्ट के सचिव/संवाददाता द्वारा विधिवत सत्यापित किए जाने चाहिए, शुल्क प्रस्तावों के साथ संस्थान से संबंधित जानकारी के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। बयानों की स्कैन की गई प्रति के साथ ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी

प्रासंगिक डेटा। यदि संस्थान अधूरा डेटा प्रस्तुत करता है या निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क भेजने में विफल रहता है, तो ऐसे प्रस्तावों को लागू नहीं किया जाएगा।

माना और नजरअंदाज किया गया।

ई संस्थान को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा

ई-शुल्क प्रस्तावः

सचिव द्वारा विधिवत भरे और हस्ताक्षरित प्रारूप

संस्थान के संवाददाता/निदेशक/प्राचार्य; प्रसंस्करण शुल्क जमा करने का प्रमाण;

2014-15 अवधि के लिए और 01/04/2015 से 30/11/2015 अवधि के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और 01/12/2015 से 31/03/2016 अवधि के लिए अनुमानित आंकड़े भी प्रस्तुत किए जाने चाहिए और इसके सचिव/संवाददाता द्वारा विधिवत प्रमाणित किए जाने चाहिए।

समाज/न्यास।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए स्वीकृत सेवन का विवरण

प्रत्येक पाठ्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत करने के लिए।

19] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. संबद्धता की वर्तमान स्थिति का विवरण, कार्यक्रम के अनुसार

प्रस्तुत किया जाए।

6. अन्य जानकारी/दस्तावेज, यदि कोई हो (निर्दिष्ट करें)

7. डी. बी. निर्णय dt.29.10 में ए. पी. के माननीय उच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्देश। 2011 WP के No.16547/2010 में और

2012 (3) ए. एल. टी. 686 (डी. बी.) में रिपोर्ट किए गए बैच को लाया गया है

संस्थाओं की सूचनाः -

" ..... एक संस्था जो अनुत्तरदायी है या आय और व्यय के विवरण, लेखा परीक्षित तुलनपत्र, और तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के लिए विकासात्मक आवश्यकताओं के विवरण प्रस्तुत नहीं करती है; वेतन और बुनियादी ढांचे पर किए गए व्यय का विवरण और अन्य विवरण जो निर्दिष्ट किए जा सकते हैं (सहायक बिलों, वाउचर या अन्य विवरणों के साथ)

रसीद आदि) को कोई शुल्क एकत्र करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

तदनुसार, निर्दिष्ट डेटा प्रस्तुत करने में विफलता के मामले में

ऊपर उल्लिखित या अपूर्ण डेटा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करने से संस्थान/कॉलेज शुल्क के निर्धारण का हकदार नहीं होगा और उक्त निर्णय के संदर्भ में ब्लॉक अवधि 2016-17 से 2018-19 के लिए छात्रों से कोई शुल्क लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. टी. ए. एफ. आर. सी. ने शुरू में ब्लॉक के लिए Rs.86,000/- और Rs.91,000/- का वार्षिक शुल्क दिनांक 04.07.2016 की अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया था।

प्रत्यर्थी संस्थानों के लिए अवधि, उनके परामर्श से उनसे स्पष्टीकरण मांगने सहित प्रतिनिधि। तथ्य यह है कि शुल्क संरचना का निर्धारण अर्ध-न्यायिक प्रकृति का था, किसी संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना के साथ कोई असहमति।

टी. ए. एफ. आर. सी. द्वारा वास्तव में आई. पी. एस. बनाने के लिए मनमाना नहीं कहा जा सकता है, लेकिन न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में एक उपयुक्त मामले में आगे की जांच के लिए कहा जा सकता है। प्रारंभ में एकल न्यायाधीश ने राय दी कि खंड अवधि के लिए शुल्क संरचना का निर्धारण दोषों से ग्रस्त था और मामले को दिनांक 14.11.2016 के आदेश द्वारा रिमांड पर भेज दिया, जिसके बाद टी. ए. एफ. आर. सी. ने 04.02.2017 पर अधिसूचित खंड अवधि के लिए प्रति छात्र सालाना Rs.97,000/- की एक समान संरचना तय की, जिसे प्रतिवादी संस्थानों द्वारा फिर से चुनौती दी गई थी।

12. उच्च न्यायालय ने नए के साथ असहमति जताई

टी. ए. एफ. आर. सी. की सिफारिशों ने ब्लॉक अवधि के लिए शुल्क संरचना को नए गणितीय गणना और वासवी इंजीनियरिंग कॉलेज अभिभावक संघ v. की प्रक्रिया द्वारा क्रमशः रु. 1,60,000/- और रु. 1,37,000/पर पुनर्निर्धारित करने का बीड़ा उठाया।

लेखांकन, जो टी. ए. एफ. आर. सी. के अनन्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र में निहित है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि टी. ए. एफ. आर. सी. ने पहले ही स्पष्टीकरण मांगने सहित संस्थानों के प्रतिनिधियों के परामर्श से काम किया था। गणना पत्रक भी संस्थानों को उपलब्ध कराया गया था। तथ्य यह है कि पहले 10 प्रतिशत मुद्रास्फीति और 15 प्रतिशत वृद्धि की गणना सकल व्यय के आधार पर की जाती थी। विवरण, जिसे अब पिछले वर्षों की तुलना में शुद्ध व्यय को मूल्यांकन का आधार बनाने के लिए व्यय के खिलाफ आय निर्धारित करके बदल दिया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा बिना पूर्व सूचना के टी. ए. एफ. आर. सी. द्वारा कार्यप्रणाली में परिवर्तन माना गया है और

कारण, उसी को अनुचित मानते हुए। लेकिन, उच्च न्यायालय ने कोई भी निष्कर्ष नहीं दिया कि टी. ए. एफ. आर. सी. ने अधिनियम, नियमों, दिशानिर्देशों, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों या अर्थशास्त्र और लेखांकन के बुनियादी सिद्धांतों के प्रावधानों के विपरीत काम किया था, फिर भी उसने एक ऐसे दृष्टिकोण पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने का विकल्प चुना जो उसे अधिक निष्पक्ष, वांछनीय या अधिक तार्किक लगा। उच्च न्यायालय ने स्वयं कहा है कि टी. ए. एफ. आर. सी. की प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, रुपये 4,53,54,741.00 की राशि को आय के रूप में पाया गया, जिसमें कोई संबंधित व्यय के आंकड़े नहीं थे और जिन्हें शुल्क संरचना के निर्धारण के लिए ध्यान में रखा गया था, के बाद फिर से आंदोलन करने की मांग की गई। संबंधित व्यय आंकड़ों के बिना रिमांड, जिससे उसे फिर से अस्वीकार कर दिया जाता है। यह निष्कर्ष कि उस कारण से ब्लॉक अवधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए मुद्रास्फीति और आगे बढ़ने की अलग से अनुमति दी जानी थी, पूरी तरह से अस्थिर है।

13. उच्च न्यायालय ने भी अस्वीकृति को दरकिनार कर दिया

प्रत्यर्थी संस्थानों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के जवाब में इस अस्वीकृति के संदर्भ में पहले ही सूचित कर दिया गया था कि संबंधित कर्मचारियों के पास आवश्यक योग्यता नहीं थी। इसमें टी. ए. एफ. आर. सी. की कार्रवाई ऊपर दिए गए दिशानिर्देशों से स्पष्ट रूप से इसके अधिकार क्षेत्र में थे, विशेष रूप से बी (ए) जो ए. आई. सी. टी. ई. मानदंडों के अनुसार शिक्षक संख्या, योग्यता आदि के संबंध में अनुमेय व्यय से संबंधित थे। 8 एस. सी. आर. के बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों का महत्व, जो विधिवत रूप से योग्य हैं।

भीड़भाड़ पर शायद ही जोर देने की आवश्यकता है। एक शिक्षक आधार है जिस नींव पर राष्ट्र का भविष्य निर्मित होता है। उच्च न्यायालय ने अपने आकस्मिक दृष्टिकोण में गलती की।

14. उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया है कि यह एक शैक्षणिक संस्थान का विशेषाधिकार है कि वह अपनी शुल्क संरचना निर्धारित करे

अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, और यह कि टी. ए. एफ. आर. सी. एक चार्टर्ड एकाउंटेंट की तरह इसकी जांच करने के लिए कार्य नहीं कर सकता है। इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि किसी शैक्षणिक संस्थान को उचित लचीलेपन का तत्व दिया जाना चाहिए। शुल्क संरचना का निर्धारण। लेकिन लचीलेपन की बराबरी नहीं की जा सकती।

किसी संस्थान की इच्छा या दावों के अनुरूप लोच के साथ। नियम 4 (ii) टी. ए. एफ. आर. सी. में यह तय करने का अधिकार क्षेत्र निहित करता है कि किसी संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित शुल्क संरचना उचित थी या नहीं और क्या यह मुनाफाखोरी या कैपिटेशन शुल्क के बराबर है। प्रस्तावित शुल्क संरचना के औचित्य को तय करने के लिए लेखा विवरण की जांच और जांच करने से टी. ए. एफ. आर. सी. को रोककर उसके अधिकार क्षेत्र को काटना, और इसकी भूमिका को केवल अवलोकन और टिप्पणियों तक सीमित करना, इसके नियामक अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह से छीनने के बराबर होगा। टी. ए. एफ. आर. सी. का उद्देश्य एक उचित शुल्क संरचना सुनिश्चित करना है जो मुनाफाखोरी और कैपिटेशन शुल्क को प्रतिबिंबित नहीं करता है। मुनाफाखोरी उन कीमतों को बढ़ाकर स्थिति का लाभ उठाते हुए अनुचित लाभ कमाना है जो एक प्रमुख स्थिति के उपयोग से कीमत में हेरफेर के माध्यम से उत्पन्न होने वाली बहुत अधिक या अत्यधिक अतिरंजित आय हैं। इसके विपरीत, टी. ए. एफ. आर. सी. द्वारा अनुमत 10 प्रतिशत मुद्रास्फीति और 15 प्रतिशत प्रोत्साहन एक उचित लाभ या वित्तीय लाभ के पहलू हैं, जो कि प्रबंधन या संचालन की एक प्रक्रिया है। अनावश्यक लाभप्रदता से अलग आगे के विकास के लिए उचित लाभ की अनुमति देने वाली संस्था। जबकि एक नियामक प्राधिकरण मुनाफाखोरी की अनुमति नहीं देगा, उसे नियम 4 (ii) (e) में प्रदान की गई गतिविधि की प्रकृति के लिए आवश्यक वित्तीय लाभ की आवश्यकता को ध्यान में रखना होगा। हमें नहीं लगता कि टी. ए. एफ. आर. सी. ने इस मामले में गलती की है।

15. प्रस्तावित के संबंध में एक शैक्षणिक संस्थान से टी. ए. एफ. आर. सी. द्वारा मांगी गई जानकारी की विस्तृत और विस्तृत प्रकृति

निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत इसे प्रस्तुत शुल्क संरचना पहले ही ऊपर देखी जा चुकी है। टी. ए. एफ. आर. सी. ने प्रतिवादी संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की है और उसके द्वारा अंतिम निर्धारण से पहले स्पष्टीकरण मांगा है। यह प्रस्ताव कि टी. ए. एफ. आर. सी. को एक चार्टर्ड एकाउंटेंट की तरह काम करने से रोक दिया गया है, जो किसी संस्थान द्वारा उसे प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के औचित्य के लिए उसके द्वारा जांच को रोकता है, ऐसी संभावनाओं से भरा एक प्रस्ताव है जो वैधानिक वासवी इंजीनियरिंग कॉलेज पैरेंट्स एसोसिएशन v को बाधित कर सकता है।

टी. ए. एफ. आर. सी. के कार्य ही इसे एक दाँत रहित बाघ बनाते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रस्ताव की जांच टी. ए. एफ. आर. सी. द्वारा एक शैक्षणिक संस्थान के अनुरूप और उपयुक्त तरीके से की जानी चाहिए और

सामान्य रूप से चार्टर्ड एकाउंटेंसी के अमूर्त सिद्धांतों के कठोर पालन से नहीं, और जिसके लिए कुछ लचीलेपन की आवश्यकता हो सकती है।

16. हमारी सुविचारित राय में, विवाद का मूल है

न्यायक्षेत्र और किस हद तक न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए टी. ए. एफ. आर. सी. द्वारा शुल्क संरचना के निर्धारण की जांच कर सकता है और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर सकता है। टी. ए. एफ. आर. सी., उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक वैधानिक निकाय है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनमें से दो वित्त क्षेत्र से हैं, जिनमें से एक सरकार से है। नियम 3 (vii) टी. ए. एफ. आर. सी. को उस संबंध में सरकार द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार अपनी प्रक्रिया तैयार करने की शक्ति प्रदान करता है और जिसके अनुसार उसके द्वारा शुल्क निर्धारण के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। टी. ए. एफ. आर. सी. की सिफारिशें एक अर्ध-न्यायिक निर्णय लेने की प्रक्रिया का परिणाम होने के कारण, यह निस्संदेह न्यायिक समीक्षा द्वारा जांच के लिए अदालत के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होगी, ताकि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत तर्कसंगतता, निष्पक्षता और कानून के पालन के संवैधानिक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

17. न्यायिक समीक्षा, जैसा कि सर्वविदित है, निर्णय लेने की प्रक्रिया के खिलाफ है न कि निर्णय के गुण-दोष के खिलाफ। अगर निर्णय बनाने की प्रक्रिया अन्य बातों के साथ-साथ बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करके त्रुटिपूर्ण है

प्राकृतिक न्याय, निर्णय निर्माता की शक्तियों से परे है, अप्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखता है या प्रासंगिक सामग्री को बाहर करता है, व्यक्ति के पीछे की सामग्री को प्रभावित होने के लिए स्वीकार करता है या ऐसा है कि किसी भी उचित व्यक्ति ने परिस्थितियों में ऐसा निर्णय नहीं लिया होगा, अदालत इस तरह के निर्णय को दरकिनार करके त्रुटि को सुधारने के लिए कदम उठा सकती है और निर्णय निर्माता को कानून के अनुसार एक नया निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है। न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की आड़ में, अधिकार नहीं छीन सकता है

निर्णय निर्माता का अधिकार क्षेत्र और निर्णय स्वयं करें। न ही यह टी. एफ. ए. आर. सी. के अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य कर सकता है। उर्वरक में

निगम कामगर संघ (विनियमित), सिंदरी बनाम भारत संघ, (1981) 1 एस. सी. सी. 568 में यह देखा गयाः

" 35. ..... हम निश्चित रूप से इस बात से सहमत हैं कि प्रशासन के साथ न्यायिक हस्तक्षेप हमारी मोंटेस्कियन प्रणाली में सावधानीपूर्वक नहीं हो सकता है

शक्तियों का पृथक्करण। अदालत हड़प या त्याग नहीं कर सकती, और [2019] 8 एस. सी. आर.

न्यायिक समीक्षा के मानदंडों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और कभी भी इससे अधिक नहीं होना चाहिए। यदि किसी सरकारी कंपनी के निदेशालय ने निष्पक्ष रूप से काम किया है, भले ही वह अपने विवेक में विफल रहा हो, तो अदालत, एक सुपर ऑडिटर के रूप में, निदेशक मंडल को चुनौती नहीं दे सकती है। यह

कार्य परीक्षण तक सीमित है कि क्या प्रशासनिक कार्रवाई निष्पक्ष और अनुचितता के दाग से मुक्त रही है और इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के मानदंडों का काफी हद तक पालन किया है

लोक प्रशासन के नियम "।

18. दिल्ली राज्य (एन. सी. टी.) बनाम संजीव, (2005) 5 एस. सी. सी. 181 में न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में न्यायिक संयम पर विचार किया गया थाः

" 16 ..... कोई भी व्यक्ति आसानी से तीन शीर्षों के तहत उन आधारों को वर्गीकृत कर सकता है जिन पर प्रशासनिक कार्रवाई न्यायिक समीक्षा द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। पहला आधार "अवैधता", दूसरा "तर्कहीनता" और तीसरा "प्रक्रियात्मक अनुचितता" है। इन सिद्धांतों पर लॉर्ड डिप्लॉक ने काउंसिल ऑफ सिविल में प्रकाश डाला था।

सेवा संघ v. सिविल सेवा मंत्री (आमतौर पर सी. सी. एस. यू मामले के रूप में जाना जाता है)। यदि शक्ति का प्रयोग एक गैर पर किया गया है

प्रासंगिक कारकों पर विचार करने या मन का उपयोग न करने पर, शक्ति का प्रयोग स्पष्ट रूप से गलत माना जाएगा। यदि किसी शक्ति (चाहे वह विधायी हो या प्रशासनिक) का प्रयोग उन तथ्यों के आधार पर किया जाता है जो मौजूद नहीं हैं और जो स्पष्ट रूप से गलत हैं,

सत्ता का ऐसा प्रयोग दूषित हो जाएगा "।

19. इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि आर्थिक मामलों में जटिल कार्यकारी निर्णय अनिवार्य रूप से अनुभवजन्य और प्रयोग पर आधारित हों। इसकी वैधता का परीक्षण किसी भी कठोर सिद्धांतों या किसी भी स्ट्रैटजैकेट सूत्र के अनुप्रयोग पर नहीं किया जा सकता है। आर्थिक मामलों में एक कार्यकारी निर्णय की वैधता का निर्णय करते समय न्यायालय को कार्यपालिका को कुछ हद तक स्वतंत्रता या जोड़ों में खेलने की अनुमति देनी चाहिए। न केवल त्रुटियाँ, बल्कि केवल स्पष्ट रूप से मनमाने निर्णयों को ही न्यायिक समीक्षा में हस्तक्षेप किया जा सकता है। एक सांविधिक निकाय द्वारा की गई सिफारिश जिसमें क्षेत्र शामिल है

विशेषज्ञों का राज्य सरकार को संतुष्ट नहीं करना एक पूरी तरह से अलग मामला है जिससे हम वर्तमान में चिंतित नहीं थे।

चर्चा करें। इसलिए न्यायालय को किसी विशेषज्ञ निकाय की ऐसी सिफारिश में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होना चाहिए, और सरकार द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए, जब तक कि वह मनमानेपन, तर्कहीनता, विकृति या भेदभाव से ग्रस्त न हो।

जिस कानून के तहत इसका गठन किया गया है, उसके किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है। द. न्यायालय एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में नहीं बैठ सकता है, जो विवादित तथ्यों और आंकड़ों के क्षेत्र में प्रवेश करके उस तरीके के संबंध में राय दे सकता है जिसमें टी. ए. एफ. आर. सी. वासावी इंजीनियरिंग कॉलेज पैरेंट्स एसोसिएशन V.

नियमों या प्रक्रिया के किसी भी उल्लंघन के बिना आगे बढ़ना चाहिए था। यदि किसी सांविधिक निकाय ने अधिकार क्षेत्र का ठीक से प्रयोग नहीं किया है, तो एकमात्र विकल्प यह है कि मामले को नए सिरे से विचार के लिए रिमांड पर लिया जाए, न कि प्राधिकरण की शक्तियों को हड़पना। पीयरलेस जनरल फाइनेंस में और

निवेश कंपनी लिमिटेड बनाम भारतीय रिजर्व बैंक, (1992) 2 एस. सी. सी. 343 में यह देखा गया थाः

" 31. न्यायालय का कार्य यह देखना है कि वैध प्राधिकरण का दुरुपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन उस प्राधिकरण को सौंपे गए कार्य को अपने लिए उपयुक्त नहीं बनाया जाता है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि वैधानिक शक्तियों के साथ निवेश किए गए एक सार्वजनिक निकाय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी शक्तियों को पार न करे या उनका दुरुपयोग न करे। इसे अपने लिए प्रतिबद्ध प्राधिकारी की सीमाओं के भीतर रखना चाहिए। इसे सद्भावना से कार्य करना चाहिए और उचित रूप से कार्य करना चाहिए। न्यायालयों को आर्थिक नीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो विशेषज्ञों का कार्य है। आर्थिक नीति के मामलों पर निर्णय देना अदालतों का काम नहीं है और यह आवश्यक रूप से विशेषज्ञ निकायों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में विशेषज्ञ भी गंभीरता से और निस्संदेह भिन्न हो सकते हैं। अदालतें

विशेषज्ञों की सहायता के बिना भी उनसे निर्णय लेने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

20. भारतीय न्यायशास्त्र के संदर्भ में, संविधान सर्वोच्च कानून है। सभी कार्यकारी या विधायी कार्यों का परीक्षण किया जाना चाहिए।

उसी का एक गुब्बारा। इस तरह के कार्यों को अपने निर्वाह के साथ-साथ अपनी सीमाओं को भी उसी के तहत खींचना होगा। संवैधानिक गारंटी की अवहेलना करने वाली किसी भी कार्रवाई के लिए संवैधानिक नैतिकता का पालन सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक समीक्षा में सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता होगी। लेकिन जब तक संवैधानिक लोकाचार के ताने-बाने को अलग नहीं किया जाता है, तब तक अदालत को संयम बरतना होगा, विशेष रूप से क्षेत्र के विशेषज्ञों से संबंधित मामलों में, अन्यथा न्याय का जोखिम व्यक्तिगत धारणाओं पर आधारित होगा जो मिथकों को संवैधानिक लोकाचार के साथ असंगत वास्तविकताओं के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। अदालतें अक्सर उन विवादों पर निर्णय देती हैं जो इस सवाल को उठाती हैं कि उन्हें कार्यकारी या विधायी कार्रवाई की कितनी सख्ती से जांच करनी चाहिए। इसलिए, अदालतों ने कुछ प्रश्नों की पहचान न्यायिक समाधान के लिए अनुचित होने के रूप में की है या किसी विशेष मामले पर किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपने फैसले को प्रतिस्थापित करने के लिए योग्यता के आधार पर इनकार कर दिया है। विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के संबंध में न्यायिक संयम की आवश्यकता, विशेष रूप से वित्त और अर्थशास्त्र से संबंधित मामलों में, बाल्को कर्मचारी संघ (विनियमित) में विचार किया गया था। बनाम भारत संघ, (2002) 2 एस. सी. सी. 333, यह आयोजित किया गया थाः

" 65 ..... फिर भी, इस तर्क को उठाने की कोशिश की जाती है कि विधि

मूल्यांकन दोषपूर्ण था, कुछ परिसंपत्तियों को [2019] 8 एस. सी. आर. में नहीं लिया गया था।

विचार और मेसर्स द्वारा प्रस्तावित 551.5 करोड़ रुपये। स्टरलाइट कंपनी के 51 प्रतिशत शेयरों का सही मूल्य नहीं था।

इसके नियंत्रित ब्याज के साथ। इस न्यायालय को विचार करने की आवश्यकता नहीं है। क्या वह कीमत जो मूल्यांकन समिति द्वारा तय की गई थी

रु. में। 551.5 करोड़ सही था या नहीं। क्या देखना है प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा का अभ्यास जांच करना है।

क्या उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है और क्या

आरक्षित मूल्य जो तय किया गया था, मनमाने ढंग से कम है और यह, अस्वीकार्य है।

XXX

XXX

XXX

98. आर्थिक मामलों पर नीतिगत निर्णय के मामले में, अदालतों को किसी भी जांच के संचालन में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए या

जाँच करना चाहिए और निर्णय को अस्वीकार करने के लिए सबसे अधिक अनिच्छुक होना चाहिए

विशेषज्ञों में से जो किसी निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे जब तक कि अदालत संतुष्ट है कि निर्णय में ही अवैधता है।

21. आंध्र प्रदेश सरकार में भी ऐसा ही विचार रखा गया था।

लक्ष्मी देवी, (2008) 4 एस. सी. सी. 720, निम्नलिखित रूप में देख रही हैः

" 80. ..... आर्थिक और अन्य विनियामक कानूनों के संबंध में

न्यायालय द्वारा न्यायिक संयम और अधिक अक्षांश का पालन किया जाना चाहिए।

संवैधानिकता का निर्णय करते समय विधायिका को दिया जाना चाहिए कानून का क्योंकि न्यायालय में आर्थिक या

प्रशासनिक विशेषज्ञ। इन मामलों में इसकी कोई विशेषज्ञता नहीं है, और

विशेषज्ञता के इस युग में जब नीतियों को निर्धारित करना होता है

क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद बहुत ध्यान रखा जाएगा

अदालत के लिए क्षेत्र का अतिक्रमण करना पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण है

कार्यपालिका या विधायी (एस. आई. सी. विधायिका) और अपने आप को लागू करने का प्रयास करें

विचार और धारणाएँ "। 22. आर्थिक और वित्तीय मामलों में न्यायिक संयम की आवश्यकता

डोमेन विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर तमिलनाडु में फिर से विचार किया गया

राशन और वितरण निगम लिमिटेड बनाम सी. एस. ई. पी. डी. आई-त्रिशे

ओर्टियम, (2017) 4 एस. सी. सी. 318, निम्नलिखित रूप में धारण करता है:

" 36 ..... इस मोड़ पर हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि एक परिसर में

राजकोषीय मूल्यांकन न्यायालय को संयम के सिद्धांत को लागू करना होगा।

कई पहलुओं, खंडों, आकस्मिकताओं आदि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन गणनाओं को सबसे अच्छा विशेषज्ञों और उन लोगों पर छोड़ दिया जाता है जिनके पास है

क्षेत्र में ज्ञान और कौशल। वित्तीय गणना शामिल है, बोलीदाता की क्षमता और दक्षता और वासवी इंजीनियरिंग कॉलेज माता-पिता संघ की धारणा।

परियोजना को पूरा करने की व्यवहार्यता को विवेक पर छोड़ना होगा वित्तीय विशेषज्ञ और सलाहकार। न्यायालय वास्तव में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हम वित्तीय सलाहकार के मूल्यांकन पर अपील नहीं कर सकते। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि यह न तो प्रत्यक्ष रूप से गलत है और न ही हम समझ सकते हैं

विकृत या बेतुका होने के लिए त्रुटिपूर्ण। ”

23. इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन (सुप्रा) टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन एंड ओआरएस की अगली कड़ी थी। बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य। , (2002)

8 एस. सी. सी. 481, जिसे विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा जा रहा था, कई मुकदमों की ओर ले जा रहा था। टी. ए. एफ. आर. सी. द्वारा शुल्क का निर्धारण एक नहीं है

प्रतिकूल अभ्यास लेकिन इसका उद्देश्य छात्रों, संस्थान के प्रतिस्पर्धी हित और सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए समाज की आवश्यकता और इच्छा के बीच शुल्क संरचना में संतुलन सुनिश्चित करना है। यह अवसरों में निष्पक्षता और शिक्षा तक पहुंच की उच्च अवधारणा का एक हिस्सा है, जो एक स्वीकृत संवैधानिक लक्ष्य है। लेकिन इसे केवल एक अलग दृष्टिकोण के आधार पर चुनौती देने और हस्तक्षेप करने के अधिकार की सीमा तक बराबरी करना, एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश में हस्तक्षेप करने का औचित्य नहीं हो सकता है। यह किसी का मामला नहीं है कि टी. ए. एफ. आर. सी. ने लेखांकन और अर्थशास्त्र के सिद्धांतों या उसी के किसी भी मौलिक दायरे के विपरीत काम किया है। इस संदर्भ में, मॉडर्न स्कूल बनाम भारत संघ, (2004) 5 एस. सी. सी. 583 में निम्नलिखित टिप्पणियों को आवश्यक उद्धरण में प्रासंगिक माना जाता है।

यहाँ के नियमों में, यह बताया जा सकता है कि आज तक, हमारे पास सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (जी. ए. ए. पी.) हैं। जैसा कि कहा गया है। ऊपर, शिक्षा का व्यावसायीकरण पिछले कई वर्षों से एक समस्या क्षेत्र रहा है। विद्यालयों में शिक्षा के व्यावसायीकरण को समाप्त करने के तरीकों में से एक है प्रत्येक पर जोर देना।

न-के लिए लागू लेखांकन के सिद्धांतों का पालन करने वाला विद्यालय

लाभ संगठन/गैर-व्यावसायिक संगठन।

XXX XXX XXX

51. निर्विवाद रूप से, शिक्षा का स्तर, छात्रों के लिए उपलब्ध पाठ्यक्रम और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ और कई अन्य कारक ऐसे मामले हैं जो शुल्क संरचना के निर्धारण के लिए प्रासंगिक हैं। कानून की अदालतें जिनके पास मामले में कोई विशेषज्ञता नहीं है और/या न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हमेशा निर्धारित करने से बचती हैं। ऐसे मामलों में सटीक सूत्र। इसके अलावा, [2019] 8 एस. सी. आर. करते समय।

इस प्रकार प्रत्येक संस्थान के संबंधित मामलों, भविष्य के विस्तार के लिए उनकी योजनाओं और कार्यक्रमों और कई अन्य कारकों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। इस्लामी शिक्षा अकादमी की संविधान पीठ ने दो समितियों के गठन का निर्देश दिया, जिनमें से एक शुल्क संरचना निर्धारित करने के लिए होगी। इस न्यायालय ने टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन दोनों में अल्पसंख्यकों और गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थानों के शिक्षा के भविष्य के विकास के लिए उचित अधिशेष उत्पन्न करने के अधिकारों को बरकरार रखा था।

24. चर्चा समाप्त करने से पहले, उच्च न्यायालय द्वारा स्वयं उचित शुल्क संरचना निर्धारित करने के लिए बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए,

डी. एन. जीवराज बनाम में टिप्पणियों का संदर्भ उपयोगी रूप से दिया जा सकता है। मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार, (2016) 2 एस. सी. सी. 653, निम्नानुसार हैः

ऐसा करने का अधिकार। हालाँकि, हमें सावधान रहना चाहिए कि यदि अदालत को वैधानिक की शक्ति लेने का निर्णय लेना है प्राधिकरण यह केवल असाधारण परिस्थितियों में होना चाहिए न कि के रूप में

एक दिनचर्या।

25. उच्च न्यायालय ने (1986) 2 एस. सी. सी. 679 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ज्ञान प्रकाश, नई दिल्ली और अन्य पर भरोसा किया।

बनाम के. एस. जगन्नाथन और दूसरा और (2000) 8 एस. सी. सी. 395 बद्रीनाथ बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य। चार आधारों पर टी. एफ. ए. आर. सी. से निर्णय लेने की प्रक्रिया को अपने हाथ में लेने को उचित ठहराने के लिए। हमारी राय में, दोनों निर्णय अपने स्वयं के तथ्यों पर पूरी तरह से अलग हैं और वर्तमान मामले में विचार के लिए प्रश्न के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है। के. एस. जगन्नाथन (ऊपर) अधीनस्थ लेखा सेवा में पदोन्नति से संबंधित थे। बद्रीनाथ (ऊपर) अति-समय पैमाने पर पदोन्नति के दावे से संबंधित है।

दोनों मामलों की वासवी इंजीनियरिंग कॉलेज पैरेंट्स एसोसिएशन v से कोई प्रासंगिकता नहीं है। तेलंगाना राज्य और अन्य [नवीन सिन्हा, जे.]

क्षेत्र विशेषज्ञों से युक्त और सरकार द्वारा अनुमोदित एक वैधानिक समिति द्वारा की गई आर्थिक सिफारिशों से संबंधित विवाद प्रस्तुत करें। इसलिए, हम वर्तमान मामले के तथ्यों में सुविचारित राय के हैं, जैसा कि उपलब्ध अभिलेखों से प्रदर्शित होता है कि

उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित चार आधारों में से किसी को भी उच्च न्यायालय द्वारा टी. एफ. ए. आर. सी. के निर्णय लेने के अधिकार क्षेत्र को हड़पने के लिए एक असाधारण मामला बनाने के रूप में नहीं माना जा सकता है। 26. इसलिए हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने कारणों से टी. ए. एफ. आर. सी. की सिफारिशों में हस्तक्षेप करके अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है।

चर्चा की। उच्च न्यायालय के आदेशों को रद्द कर दिया जाता है। ब्लॉक अवधि 2016-2017 और 2018-2019 के लिए दिनांकित 04.02.2017 की टी. ए. एफ. आर. सी. की सिफारिश को बहाल कर दिया गया है।

27. उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के अंतरिम आदेश को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी संस्थानों द्वारा प्रस्तुत और जीवित रखने के लिए निर्देशित बैंक गारंटी को सक्रिय करने और छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए कानून के अनुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

28. अपीलों की अनुमति है। कोई लागत नहीं।

अपीलों की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान